न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2018
प्रविष्टि दिनांक 22.02.2018

रोडू पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी इन्दोली तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार मालपुरा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मालपुरा दिनांक 26.09.2017 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री अनुराग गौत्तम, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 28.02.2020**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 26.09.2017 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 804 / 1 मे से 1 बिस्वा भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम इन्दोली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की स्वंय की खातेदारी की भूमि ग्राम इन्दोली मे है।आराजी खसरा नम्बर 758 शा.नं. 759 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे मन अपीलांट ने पुख्ता निर्माण कर रखा है। जिसमे खाखला डालता है,कृषि औजार रखता है। यह पुख्ता निर्माण बरसो पहले से है आज तक किसी भी पटवारी हल्का ने अपीलांट को इस बाबत नोटिस नही दिया है। खसरा नम्बर 804 के पास ही अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 758 शा.नं. 579 है। अपीलांट से गांव मे राजनैतिक व व्यक्तिगत दुश्मनी रखते है,उन लोगो ने अपीलांट को नुकसान पहुंचाने के लिए पटवारी से यह गलत नोटिस जारी करवाया है जबकि अपीलांट का रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है और जो निर्माण कार्य है वह स्वंय की भूमि मे है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा मे निर्णय पारित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

किया गया है। प्रकरण सीमा विवाद का है। प्रकरण मे यदि पेमाईस की जाती है तो अपीलांट का कथन पूर्ण रूप से साबित होता है कि उसका निर्माण रास्ते मे नही है। रास्ता मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह गलत है। इस निर्णय के आधार पर रेस्पो. अपीलांट के निर्माण को तोडने पर उतारू है।अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी गै0मु0 रास्ता भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 804/1 मे से रकबा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि वाके ग्राम इन्दोली तहसील मालपुरा पर अतिक्रमण कर रखा है।

तहसीलदार मालपुरा ने पत्र क्रमांक 562 दिनांक 13.06.2018 से अवगत कराया है कि उक्त खसरा नम्बर पर रोडू रामस्वरूप वगै0 पि0 रामकरण जाट का अतिक्रमण होना पाया गया है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.09.2017 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है एंव अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि अपीलाधीन आदेश के कियान्वयन से पूर्व ग्राम इन्दोली के खसरा नम्बर 804/1 किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अपीलांट के अतिक्रमण का मौके पर सीमाकंन करने के पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 13:47:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: